



स.ए. 20011/4/2017-हिंदी/Hindi
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless



खण्डसं , 9 .के.स.का .परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,
लोधी रोड , नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3

दिनांक /Dated: 22, दिसम्बर 2020

कार्यालय जापन

विषय: निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2020 की तिमाही बैठक की कार्यवृत्त।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2020 तिमाही की बैठक का आयोजन दिनांक 15 दिसम्बर 2020 को 1200 बजे श्री देवेन्द्र सिंह, भा.दू.से., अपर निदेशक (मुख्यालय), स.नि.पु.बे. की अध्यक्षता में ऑनलाइन किया गया। बैठक में कार्यसूची के अनुसार विचार-विमर्श किया गया और निदेशालय हेतु राजभाषा से संबंधित वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने एवं हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए।

2. बैठक की कार्यवृत्त की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, निदेशालय के सभी अनुभागों एवं सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों की सूचना, रिकॉर्ड एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेषित की जारही है।

3. सभी संबंधितों से अनुरोध है कि कार्यवृत्त में उल्लिखित मर्दों पर यथापेक्षित कार्रवाई करते हुए की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग को एक माह के भीतर अवगत करवा दें ताकि निदेशालय की अगली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन रिपोर्ट समिति के सामने प्रस्तुत की जा सके।

4. यह कार्यवृत्त सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(अंग्रेजी) 22.12.2020

(डॉ. राजीव कुमार सिंह)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष : 011-24361588

ई-मेल आईडी- rajivkumar.79@dcpw.gov.in

संलग्नक : यथोपरि।

प्रति:-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
2. सभी अनुभाग अधिकारी/अनुभाग।
3. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली।
4. सहायक निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरीफोर्ट, नई दिल्ली।
5. स.नि., सूचना और प्रौद्योगिकी- विभाग की वेबसाइट (Circular भाग) पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:-

1. अपर निदेशक (मुख्यालय)/ अपर निदेशक (प्रचालन) के वैयक्तिक सचिव।
2. निदेशक (राजभाषा), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आठवां तल, एनडीसीसी-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

**समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
(राजभाषा अनुभाग)**

विषय: समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (दिसम्बर 2020) की कार्यवृत्ति।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2020 तिमाही की “ई” बैठक श्री देवेन्द्र सिंह, अपर निदेशक (मुख्यालय) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15 दिसम्बर 2020 को 1200 बजे निदेशालय (मुख्यालय) में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गयी। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	
1.	श्री देवेन्द्र सिंह, भा.दू.से., अपर निदेशक (मुख्यालय)	अध्यक्ष
2.	श्री एम.एस.एन. स्वामी, अपर निदेशक (प्रचालन)	सदस्य
3.	श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
4.	डॉ सुरेश विनायक, संयुक्त निदेशक (संचार)	सदस्य
5.	श्री घनश्याम, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष	सदस्य
6.	श्री विक्रम सिंह पंवार, उप निदेशक (संचार)	सदस्य
7.	श्री विद्याधर, उप निदेशक (बीजलेख/कार्यशाला)	सदस्य
8.	श्री एच. एस. श्रीहरी, सहायक निदेशक (पोलनेट हब)	सदस्य
9.	श्री हेमन्त कुमार, सहायक निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
10.	श्री मयंक कपूर, सहायक निदेशक (पोलनेट योजना)	सदस्य
11.	श्री विनय बर्थवाल, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
12.	श्री शशि कांत सिंह, सहायक निदेशक (क्रय)	सदस्य
13.	श्री राम प्रसाद, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
14.	श्री कौस्तव साहा, सहायक निदेशक (आई.टी. एवं भूमि व भवन)	सदस्य
15.	श्री लक्ष्मी शंकर यादव, सहायक निदेशक (संचार केन्द्र)	सदस्य
16.	डॉ. राजीव कुमार सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य सचिव
17.	श्री कुलदीप के रावत, लेखा अधिकारी	सदस्य
18.	श्री दिनेश सिंह, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	सदस्य

बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया और अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेते हुए ‘ई’ बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की, जो निम्नानुसार है :-

मद संख्या 1. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई/अनुपालन रिपोर्ट. मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को अपर निदेशक (मुख्यालय) महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी। सदस्य सचिव ने निदेशालय की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन रिपोर्ट और सभी संबंधितों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई पढ़कर सुनाया, जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है :-

- (क) अनुभागों द्वारा हिंदी पत्राचार में कमी का कारण. सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि पिछले बैठक में निर्णय लिया गया था कि निदेशालय के जिन अनुभागों का हिंदी पत्राचार जून 2020 की तिमाही में मार्च 2020 की तिमाही से कम है, उन अनुभागों को पत्राचार कम क्यों हुआ है, इसका स्पष्टीकरण मांगा जाए। इसके अनुपालन में हिंदी अनुभाग द्वारा निदेशालय के चार अनुभागों- भंडार, संचार/अनुरक्षण, पोलनेट हब एवं पोलनेट अनुभाग को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा गया था, इन अनुभागों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिए जाने पर अध्यक्ष महोदय ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित अनुभाग अधिकारियों से इसका कारण 17 दिसम्बर 2020 तक हिंदी अनुभाग में भेजने का निर्देश दिया।
- (ख) निदेशालय की वेबसाइट का द्विभाषीकरण. इस विषय पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा यह संज्ञान लिया गया कि निदेशालय की वेबसाइट पहले हिंदी में लिंक के माध्यम से खुलनी चाहिए। गृह मंत्रालय के पत्र में निहित अनुदेशों के अनुसार उन्होंने सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) को निर्देश दिया की लिंक के माध्यम से वेबसाइट पहले हिंदी में खुलने की कार्रवाई शीघ्र की जाए।
- (ग) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का प्रत्यक्ष निरीक्षण (वार्षिक लक्ष्य 25% है). इस विषय पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति सामान्य होने पर अनुभागों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाएगा और अनुभागों से प्राप्त निरीक्षण प्रपत्र में दिए गए आंकड़ों की क्रॉस चैकिंग की जाएगी।
- (घ) मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के ऐसे अनुभाग जहां सम्पूर्ण कार्य हिंदी में हों (लक्ष्य 40% है). लक्ष्य के अनुसार निदेशालय के कुल 13 अनुभागों में से लगभग 5 अनुभागों में सम्पूर्ण कार्य हिंदी में होना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रशासन अनुभाग और क्रय अनुभाग को अपना सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए नामित किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया कि जिन दो अनुभागों को सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु नामित किया गया है, उन अनुभागों द्वारा कितना काम हिंदी में किया जा रहा है, इसके बारे में बैठक में जानकारी दी जाए।
- (ङ) हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों के लिए व्यक्तिशः आदेश. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निदेशालय में कार्यरत प्रवीणता प्राप्त 129 कार्मिकों (19 अधिकारी और 110 कर्मचारी) को अपना सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि इन सभी कार्मिकों को अपना शत प्रतिशत सरकारी कामकाज हिंदी में ही करना चाहिए। कौन कितना काम हिंदी में कर रहे हैं इसका डाटा मंगा कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (च) हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भारत सरकार द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए लागू की गयी वार्षिक प्रोत्साहन योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इस प्रोत्साहन योजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार देने हेतु स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही वर्ष 2019-20 में इस योजना में भाग लेने हेतु परिपत्र जारी कर दिया गया है।
- (छ) अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक/हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन. सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि दिसम्बर 2020 तिमाही में सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा राजभाषा हिंदी की तिमाही बैठक और हिंदी कार्यशाला के आयोजन की सूचना

भेजी गयी है। निर्णय लिया गया कि अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा हिंदी की तिमाही बैठक और हिंदी कार्यशाला का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा और इसकी सूचना निदेशालय को पूर्व में लिए गए निर्णयों के अनुसार दी जानी चाहिए।

मद संख्या 2. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों पर चर्चा. बैठक में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 में निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गयी। निर्णय लिया गया कि सभी अनुभागों एवं अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

मद संख्या 3. निदेशालय की सितम्बर 2020 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों की समीक्षा. निदेशालय की सितम्बर 2020 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों की अनुभागवार समीक्षा की गयी और जून 2020 तिमाही की प्रगति रिपोर्ट से इस रिपोर्ट की तुलना की गयी।

(क) **हिंदी में मूल पत्राचार.** हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 'क' एवं 'ख' के लिए 100 प्रतिशत है एवं 'ग' क्षेत्र के लिए 65 प्रतिशत निर्धारित है। सितम्बर 2020 तिमाही में निदेशालय का हिंदी पत्राचार 'क' क्षेत्र को 43.54 हुआ है, जोकि जून 2020 तिमाही की तुलना में 03.24 प्रतिशत बढ़ा है। 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के लिए हिंदी पत्राचार पिछली तिमाही (जून 2020 तिमाही) की तुलना में कम हुआ है। सितम्बर 2020 में निदेशालय का हिंदी पत्राचार 'ख' क्षेत्र को 29.20 प्रतिशत (-7.25) तथा 'ग' क्षेत्र को 28.38 (-0.72) रहा।

(ख) **फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी/आलेखन.** गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 75 प्रतिशत का है। सितम्बर 2020 की तिमाही में मुख्यालय का हिंदी टिप्पण 49.90 प्रतिशत है, जोकि पिछली तिमाही से 1.61 प्रतिशत अधिक है।

निर्णय. अनुभागों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया कि निदेशालय का हिंदी पत्राचार और फाइलों में हिंदी टिप्पणी लक्ष्य से बहुत कम है। लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी अनुभागों द्वारा सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। निर्णय लिया गया कि जिन अनुभागों का हिंदी पत्राचार एवं फाइलों में हिंदी टिप्पणी सितम्बर 2020 तिमाही में जून 2020 तिमाही से बहुत कम हुआ है उन अनुभागों को पत्राचार की प्रतिशता में आयी कमी का कारण पूछा जाए। साथ ही सभी अनुभागों को हिंदी पत्राचार एवं हिंदी में टिप्पणी को बढ़ाने के लिए पत्र जारी किया जाए।

मद संख्या-4. गृह मंत्रालय से प्राप्त निदेशालय की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा. सदस्य सचिव ने गृह मंत्रालय के दिनांक 23 नवम्बर 2020 के पत्र संख्या 11015/02/2020-हिंदी के अंतर्गत निदेशालय की सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही प्रगति की समीक्षा रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस समीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों से निदेशालय के सभी अनुभागों को अवगत करते हुए हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए पत्र जारी किए जाएं।

मद संख्या-5. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा सीमा सुरक्षा बल, महानिदेशालय के किए गए राजभाषा निरिक्षण के दौरान बताए गए बिन्दुओं पर सभी कार्यालयों द्वारा समान रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करवाने हेतु संयुक्त सचिव(सी आई सी), गृह मंत्रालय से प्राप्त पत्र पर चर्चा. सदस्य सचिव ने इस विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 14 अक्टूबर 2020 के पत्र संख्या 11020/02/2020-रा.भा. (समिति) में उल्लेखित सभी बिन्दुओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इसके अनुपालन में निदेशालय के सभी अनुभागों एवं अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों को संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु दिनांक 03 दिसम्बर 2020 के पत्र संख्या ए. 20011/04/2015-हिंदी के माध्यम से

परिपत्र जारी किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभी अनुभाग एवं केन्द्र परिपत्र में दिए गए बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

मद संख्या- 6. अध्यक्ष महोदय के अनुमति से किसी अन्य विषय पर चर्चा. तदोपरांत अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों से उनके सुझाव पूछे, जो इस प्रकार से थे :-

1. श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा सुझाव दिया गया कि हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निदेशालय, हिंदी अनुभाग द्वारा सभी अनुभागों को अपने तरफ से एक लक्ष्य देना चाहिए और हर अनुभाग को उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए तथा अनुभागवार हिंदी पत्राचार में पिछली तिमाही की तुलना में सुधार होना चाहिए। साथ ही अनुभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी तिमाही में हिंदी पत्राचार पिछले तिमाही से कम न हो।

स्पष्टीकरण. इस पर विस्तार से विचार विमर्श करने पर सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा अवगत कराया गया कि लक्ष्य भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इन लक्ष्यों को कार्यालय अपने स्तर पर निर्धारित नहीं कर सकता है। निर्णय लिया गया गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए और अनुभागों का हिंदी पत्राचार एवं फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी पिछले तिमाही की तुलना में अधिक होनी चाहिए।

2. श्री घनश्याम, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अधिकारी को अपने अनुभाग के हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को बढ़ाने का प्रयास करते हुए अपने स्वयं के लिए हर तिमाही में एक लक्ष्य रखना चाहिए। यदि पिछली तिमाही में 40 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है तो अगली तिमाही में 45 से 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक पत्राचार करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने समिति को सूचित किया कि उनसे वरिष्ठ अधिकारी जैसे- श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) एवं डॉ. सुरेश विनायक, संयुक्त निदेशक (संचार) को छोड़कर निदेशालय में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्यक्तिशः आदेश जारी कर दिए गए हैं।

3. डॉ. सुरेश विनायक, संयुक्त निदेशक (संचार) द्वारा सुझाव दिया गया कि पत्र में हस्ताक्षर हिंदी में करने, चर्चा करें, अनुमोदित करें आदि टिप्पणी हिंदी में लिखने से इन्हें भी हिंदी का पत्र मानना चाहिए।

स्पष्टीकरण. सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा अवगत कराया गया कि अंग्रेजी के पत्र में हस्ताक्षर हिंदी में करने से इसे हिंदी का पत्र नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार यदि फाइल में केवल चर्चा करें या अनुमोदित आदि टिप्पणी हिंदी में लिखने से इसे हिंदी में नोटिंग नहीं मानी जा सकती है। कम से कम आधे पृष्ठ या पूरे पृष्ठ की टिप्पणी हिंदी में लिखे जाने पर ही इसे हिंदी की टिप्पणी मानी जाती है।

4. श्री मयंक कपूर, सहायक निदेशक (पोलनेट योजना) द्वारा सुझाव दिया गया कि हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित है, 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करना व्यवहारिक नहीं हो पाएगा। इससे अनुभाग का काम प्रभावित हो सकता है। इसलिए इसे व्यवहारिक बनाया जाए।

स्पष्टीकरण. निर्णय लिया गया कि हिंदी पत्राचार का लक्ष्य गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं, लक्ष्य निर्धारित करने के प्रयोजन होते हैं। अतः लक्ष्य को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

5. श्री मयंक कपूर, सहायक निदेशक (पोलनेट योजना) द्वारा पूछा गया कि गृह मंत्रालय या किसी अन्य विभाग से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना क्यों जरूरी है।

स्पष्टीकरण. सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा अवगत कराया गया कि 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा 'क' एवं 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत है तभी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय के प्वाइंट.

1. अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशालय के हिंदी पत्राचार में प्रत्येक तिमाही में कितनी क्रमिक बृद्धि हो रही है इसकी तुलना के लिए उन्होंने निदेशालय के पिछले डेढ़-दो वर्ष की तिमाही पत्राचार का तुलनात्मक रिपोर्ट दिखाने का निर्देश दिया।
2. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया कि अगली बार यदि बैठक ऑनलाइन होती है तो सभी सदस्यों को भी बैठक में जिन पत्रों पर चर्चा होती है उसे स्क्रीन पर शेयर किया जाए। इसे लैपटॉप पर शेयर करने की व्यवस्था की जाए। ऐसा करने से सभी सदस्यों को पता चल पाएगा कि किस बिंदु पर चर्चा हो रही है।
3. अध्यक्ष महोदय ने संज्ञान लेते हुए कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में सभी सदस्यों को भाग लेना अनिवार्य है। बैठक में शामिल नहीं हुए सदस्यों का संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि जो सदस्य बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें पत्र लिखकर अनुपस्थिति का कारण पूछा जाए।
4. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि समिति की इस बैठक में लिए गए निर्णयों एवं सुझावों पर समिति के सभी सदस्यों एवं अनुभाग अधिकारियों सहित अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा अपने-अपने स्तर पर अनुपालन किया जाना चाहिए और इस संबंध में सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा परिपत्र एवं पत्र आदि के माध्यम से समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट ली जाएगी।

अंत में कोई बिंदु नहीं होने पर अध्यक्ष महोदय ने ऑनलाइन बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक के समापन की घोषणा की।

(Signature)
22.12.2020
(डॉ राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

